संख्या-05/2021/113/77-3-2021-04बजट/2020

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी, 2021

विषय- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 36,80,09,589 /- की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3050/यूपीडा/1098/2020, दिनांक 11.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-07 लेखा शीर्षक ''2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 19-यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' में प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 1,211,136,987.00 में से बैंक आफ बड़ौदा से लिये गये ऋण पर दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक देय ब्याज रू0 36,80,09,589/- (रू0 छत्तीस करोड़ अस्सी लाख नौ हजार पांच सौ नवासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। सम्पूर्ण धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके मासिक आधार पर आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।

(4) यूपीडा का यह भी दायित्व होगा कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020 -231/2020, दिनांक 24.03.2020, कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2020 /बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, 18.05.2020 एवं 29.09.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक ''2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य-19-यूपीडा द्वारा संचालित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-49/दस-2021 दिनांक 20.01.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-05/2021/113(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।